उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी.सी. – १२, वी, विभूति खण्ड विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

F86668

वैधता अवधि–02 वर्ष हेतु मान्य

संदर्भ संख्या........... सी–5 / एन0ओ0सी0–870 / 16 दिनांक 01-9-16

सेवा में,

श्री राधा माधव जिन्दल,
सीनियर मैनेजर,
मै0 ओमेक्स लिमिटेड
साइबर टावर, व्तीय तल,
टीसी–34, / वी2, विभूतिखण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ |.

विषयः पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नई इकाई की स्थापनार्थ सहमति (अनापत्ति प्रमाण पत्र) निर्गमन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने अनापत्ति प्रमाण हेतु आवेदन पत्र एवम् बोर्ड में प्रस्तुत बैंक गारन्टी दिनांक 28.07.16 का संदर्भ लें। परियोजना को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित शर्तों के समुचित अनुपालन के साथ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत सशर्त स्थापनार्थ सहमति (अनापत्ति प्रमाण पत्र) स्वीकृत किया जाता है।

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है।

(क) स्थलः	मै0 ओमेक्स लि0, ओमेक्स हाईट्स–द्वितीय, खसरा संख्या 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ग्राम– अहमामऊ निकट सेक्टर–7, गोमतीनगर विस्तार, अमर शहीद पथ, लखनऊ
(ख) परियोजनाः	आवासीय परियोजना, 45572.31 वर्गमीटर बिल्टअप एरिया , कुल भूखण्ड क्षेत्रफल 17038.55 वर्गमीटर
(ग) मुख्य कच्चे मालः	ईट, मौरंग, सरिया इत्यादि भवन निर्माण से सम्बन्धित
(घ) (1) औद्योगिक उत्प्रवाह की मात्राः	शून्य
(2) घरेलू उत्प्रवाह की मात्रा	117.04 के0एल0डी0
(ङ) प्रयुक्त ईधनः	750 के0वी0ए0 एवं 500 के0वी0ए0 के डी0जी0 सेट हेतु डीजल आवश्यकतानुसार।

उपर्युक्त विषय वस्तु में से किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

1. परियोजना का संचालन तब तक प्रारम्भ नहीं किया जायेगा जब तक कि वह राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर ले। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई में संचालन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 02 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को संचालन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुये इस कार्यालय में अवश्य जमा कर दिया जाये।
2. स्टेट लेबल इनवायरमेन्ट इम्पैक्ट एसेसमेन्ट अथारिटी उ0प्र0 द्वारा पंत्राक 71 / पर्या / एसईएसी / 2830 / 2015 / डीडी(वाई) दिनांक 13.04.16 द्वारा निर्गत पर्यावरणीय क्लीयरेन्स की शर्तो का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाये।
3. परियोजना से जनित घरेलू उत्प्रवाह 117.04 कि0ली0 / दिन के शोधन हेतु प्रस्तुत प्रस्तावों के अनुसार 200 के0एल0डी0 क्षमता के एस0टी0पी0 की स्थापना की जाये तथा एस0टी0पी0 द्वारा जनित उत्प्रवाह को शोधित कर शत–प्रतिशत सिंचाई / फ्लशिंग एवं कूलिंग इत्यादि में प्रयोग कर शून्य किया जाये।

मै0 ओमेक्स लि0, ओमेक्स हाईट्स–द्वितीय, खसरा संख्या 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ग्राम– अहमामऊ निकट सेक्टर–7, गोमतीनगर, विस्तार, अमर शहीद पथ, लखनऊ।

5. नगरीय ठोस अपशिष्ठ का निस्तारण प्रस्तावों के अनुसार वर्मी कम्पोस्टिंग एवं नगरीय ठोस अपशिष्ठ नियम 2016 के प्राविधानों के अनुसार किया जाये।
6. परियोजना में रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग की स्थापना करें।
7. प्रस्तावित स्थल पर परियोजना की स्थापना हेतु सक्षम अभिकरण से स्वीकृत मानचित्र प्राप्त करना अनिवार्य है एवं स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही परियोजना का निर्माण किया जायेगा।
8. एस0टी0पी0 से जनित ठोस अपव्यय का प्रयोग बायोकम्पोस्टिंग के लिये किया जायेगा।
9. परियोजना परिसर में सौर ऊर्जा चालित प्रकाश व्यवस्था का वैकल्पिक प्रयोग अधिकाधिक स्थलों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
10. एस0टी0पी0 के संचालन की अवस्था को सुनिश्चित किये जाने हेतु पृथक एनर्जी मीटर स्थापित करें तथा उसकी लागिंग नियमित रखी जाये।
11. परियोजना में प्रस्तावित डी0जी0 सेट्स पर बोर्ड मानकों के अनुरूप चिमनी एवं एकास्टिक इन्क्लोजर की स्थापना की जाये।
12. परियोजना में प्रस्तावानुसार एवं यथा संभव खाली स्थलों पर हरितपट्टिका का विकास किया जाना अनिवार्य है।
13. डी0जी0 सेट से जनित निष्प्रयोज्य लुब्रिकेण्ट ऑयल को बोर्ड से अधिकृत (प्राधिकार प्राप्त) रिसाइक्लर को देना सुनिश्चित करें।
14. आकस्मिक दुर्घटना से बचाव हेतु सुरक्षा के समुचित प्रबन्ध करें एवं उक्त के सम्बन्ध में सक्षम विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।
15. निर्माण के दौरान धूल उत्सर्जक से प्रदूषण के रोकथाम हेतु वाटर स्प्रिंकलिंग की उचित व्यवस्था तथा ध्वनि प्रदूषण के रोकथाम हेतु आवश्यक उपाय किये जाएगे तथा निर्माण के दौरान प्रस्तावानुसार उचित पर्यावरण प्रबन्ध सुनिश्चित करें।
16. परियोजना हेतु राज्य बोर्ड से पृथक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना हाट मिक्स/रेडी मिक्स/वेट मिक्स प्लाण्ट की स्थापना नहीं की जायेगी।

उपरोक्त शर्तो का अनुपालन न किये जाने की दशा में उद्योग द्वारा प्रेषित बैंक गारन्टी संख्या 160127IBGP00883 दिनांक 22.07.16 रू0 10,00,000 (रू0 दस लाख मात्र) बोर्ड के पक्ष में जब्त की जा सकती है।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तो एवं सामान्य शर्तो का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तो में संशोधन किया जाय अथवा निरस्त कर दिया जाय। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 15.09.2016 तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाए। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाए अन्यथा अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त भी किया जा सकता है।

भवदीय,

सदस्य सचिव

पृष्ठांकन सं0 /एन. ओ. सी. तद दिनांक

प्रतिलिपिः क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

पर्यावरण अभियन्ता
प्रभारी (सर्किल–5)